राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/13 दिनांक: 05/01/2024

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
आयुक्त नगर निगम समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
उप/सहायक निदेशक समस्त

विषयः– पहचान पोर्टल में जन्म/मृत्यु की घटना दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ़ (Proof) अपलोड करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीयन से संबंधित संशोधन की प्रविष्टियाँ जिला रजिस्ट्रार को अनुमोदन हेतु भिजवाई जाती है तथा जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक संशोधन किये जाते है। परन्तु समीक्षा उपरान्त देखने में आया है कि पहचान पोर्टल में जन्म/मृत्यु की घटना दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ़ (Proof) अपलोड करने की सुविधा नही होने कारण किन्ही प्रकरणों में रजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मुत्यु की घटना की प्रविष्टियों मे भी संशोधन कर लिया जाता है जो की काफी गम्भीरता का विषय है।

यह उल्लेखनीय है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टयां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो, के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मध्य नजर रखते हुये जन्म तिथि मे शुद्धि कि अनुमति नही होनी चाहिये जब तक की रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट नही हो जाता है कि जन्म/मृत्यु तिथि में घटना की रिपोर्टिंग/रजिस्ट्रीकरण के समय पर एक कपट पूर्ण प्रविष्टि की गई थी।

वर्तमान में संशोधन की प्रविष्टियों को अनुमोदन अथवा खारिज करने के लिए प्रुफ़ (Proof) अपलोड करने की सुविधा नहीं होने के कारण जिला रजिस्ट्रारों की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल पर जन्म–मृत्यु की घटना (संस्थानिक/गैर–संस्थानिक) की दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ़ (Proof) अपलोड करने के संबंध में निम्नानुसार विकल्प की सुविधा प्रारम्भ की गई हैः–

(1) <u>संस्थानिक घटना की स्थिति मेंः–</u> जन्म–मृत्यु की घटना संस्थानिक होने की स्थिति में चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी के चिकित्सक के हस्ताक्षर मय मोहर द्वारा जारी डिस्चार्ज टिकट या चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा।

Signature valid
Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa
Designation : Director and Joint Secretary
Date: 2024.01.04 1?:20:29 IST
Reason: Approved

(2) <u>**गैर–संस्थानिक घटना की स्थिति में:–**</u> जन्म अथवा मृत्यु की घटना गैर–संस्थानिक होने की स्थिति में घटना की सत्यता के संबंध में ठोस साक्ष्य/दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार को प्राप्त होने की स्थिति में केवल जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा ही घटना की दिनांक में संशोधन के लिए सुविधा।

अतः उपरोक्त सुविधा का विकल्प पहचान पोर्टल पर विकसित किया जाकर यह भी निर्देशित किया जाता है कि जन्म अथवा मृत्यु की घटना की दिनांक में संशोधन जिला रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और राज्य नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा स्वंय की पूर्ण संतुष्टि उपरांत किए जावेंगें।

(भंवर लाल बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5274995

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa
Designation : Director and Joint Secretary
Date: 2024.01.04 1?:20:29 IST
Reason: Approved